राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर विभाजित विश्व मानव की झूठी एकता बनाकर

बाली रोडमेप ने खतरनाक भविष्य का रास्ता तैयार किया

आज हमें एक अविभाजित मजबूत मानव एकता की आवश्यकता है

जो शुरू से ही सभी विद्यमान और पुरानी वैश्विक चुनौतियों की जनक विश्व कॉरपोरेट व्यवस्था के बाजार चलित स्वार्थी (या व्यक्तिगत) दिशा के बुनियादी परिप्रेक्ष्य के कारण खण्डित है।

इसने पहले से ही काफी जीव-प्रजातियों को समाप्त कर दिया है और अब इस ग्रह पर मौजूद सम्पूर्ण जीव-जगत को पूर्ण खात्मे की ओर धकेल रही है।

.....

अभी भी ग्रह पृथ्वी और इसके जीव-जगत को बचाने की संभावना है बशर्ते मानव समुदाय तुरन्त ही एक वास्तविक और प्रासंगिक प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम अपनाए

.....

I

बाली रोडमेप से सम्बन्धित पहला मूलभूत तथ्य है कि ग्रीन-हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के सवाल पर सम्पूर्ण विश्व कॉरपोरेट पूँजीवादी धड़ा पूर्ण विभाजित है। यूरोपीयन यूनियन और विकासशील देशों का पूरा बड़ा खेमा अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित कटौती पर खड़ा रहा, जबकि अमेरिका, जापान, कनाडा और कुछ अन्य विकसित आर्थिकताओं ने राष्ट्रीय तौर पर तय कटौती को पसंद किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य स्वीकारा। यहाँ सही स्थिति यह है कि वैश्विक उष्माकरण या मौसम परिवर्तन एक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है न कि राष्ट्रीय।

दूसरा मूलभूत तथ्य है कि महाशक्तिवाद और बड़ों का प्रभुत्व का समय समाप्त हो गया है। अमेरिका ने जब वह अन्यों से अलग अपने राष्ट्रीय दिशा पर खड़े रहने की कोशिश की तो राष्ट्र-राज्यों की पूर्ण बैठक में उसकी थू-थू हुई तथा अपमान का समाना करना पड़ा, अन्ततः उसे विश्व राष्ट्र-राज्यों के बहुमत में शामिल होना पड़ा।

बाली रोडमेप से सम्बन्धित तीसरा तथ्य है कि दुनिया राजनीतिक तौर पर विश्व महाशक्ति यानि अमेरिका, क्षेत्रीय महाशक्ति यानि चीन, जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इग्लैण्ड और साधारण राष्ट्र-राज्यों में बंटी थी।

दुनिया आर्थिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर सर्वोच्च विकसित देश यानि अमेरिका, आर्थिक तौर पर क्षेत्रीय विकसित देशों यानि चीन, जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इंग्लैण्ड और विकासशील (यानि अल्पविकसित देश) अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों की बहुसंख्या में विभाजित थी।

और दुनिया सांस्कृतिक तौर पर विभिन्न धार्मिक दिशा वाले रूढ़िवाद, यानि ईसाइयत रूढिवाद, मुस्लिम रूढिवाद, हिन्दू रूढिवाद, बुद्धिस्ट रूढिवाद आदि में विभक्त थी। ये सभी विभाजन मानवीय मजबूती या मानव समुदाय की एकता में दरार डालते हैं और मानव समुदाय को भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रुपों में विभाजित करते हैं।

इस प्रकार का विभाजित मानव समुदाय वैश्विक-उष्माकरण या मौसम परिवर्तन का जवाब एकबद्धता से या एक

इकाई के रूप में नहीं दे सकता।

मानव समुदाय में ये सभी विभेद विश्व कॉरपोरेट व्यवस्था–जो बाजार के जरिए चलती है और अपने जन्म के साथ ही विद्यमान और पुरानी विश्व चुनौतियों की जननी के रूप में खड़ी है–की स्वार्थी (या व्यक्तिगत) दिशा की मूलभूत अवधारणा से उपजे हैं। पहले से ही इसका परिणाम बहुत सी जीव-प्रजातियों की विलुप्ति में निकला है। अब इस ग्रह पर मौजूद सम्पूर्ण जीव-जगत को पूर्ण खात्मे की ओर धकेल रही है।

चौथा तथ्य है कि अब विश्व के लोग किसी भी पुराने हो चुके कार्यक्रम (चाहे उसे किसी महाशक्ति ने या किसी सर्वशक्तिमान ताकत ने तैयार किया हो) को एक नए वास्तविक कार्यक्रम द्वारा बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना एक सैकण्ड भी गंवाए इस क्षण पर प्रेरित लोगों के साथ लग जाना चाहिए।

पांचवां तथ्य मांग करता है कि मजबूत मानव एकता पैदा करने और दुनिया के अन्यायकारी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभाजन, जिसे बाजार चलित विश्व कॉरपोरेट व्यवस्था के अप्राकृतिक और मानव विरोधी स्वार्थी (या व्यक्तिगत) दिशा की मूलभूत अवधारणा ने पैदा किया है, को समाप्त करने के लिए दुनिया को एक नए वास्तविक और प्रासंगिक प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम को आगे लाने तथा अपनाने की जरूरत है।

II

यह प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम दो मूलभूत कारकों और 5 बुनियादी सिद्धान्तों से गठित है

दो मूलभूत कारक

1. प्रकृति (या पर्यावरण) और मानव समुदाय पृथ्वी पर जैव-जीवन की विद्यमान व्यवस्था के दो मूलभूत घटक हैं। मानव समुदाय मूलभूत कारक है क्योंकि इस ग्रह पर मात्र सिर्फ ये ही जैव-सामाजिक प्रजाति है। अन्य सभी जैव-प्रजातियां केवल जैविक है क्योंकि वे उनके स्वयं के हित से ही चारित्रित है और उनका कोई सामाजिक हित नहीं होता। इस प्रकार मानव जाति अकेली हमारे ग्रह पर विद्यमान सभी जैव-प्रजातियों के हितों की जिम्मेवारी ले सकती है। प्रकृति की धारणा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को बताती है जबकि पर्यावरणीय धारणा केवल हमारे ग्रह से सम्बन्धित है। मानव की धारणा उन सभी शक्तियों को, जो जैव-सामाजिक अवधारणा रखती है, अभिव्यक्त करती है, चाहे वे जैव-सामाजिक ताकतें अन्य ग्रहों, आकाशगंगाओं, ब्रह्माण्ड आदि में रहती हों। कॉरपोरेट विज्ञान कहती है कि उन्होंने ऐसी शक्तियों को जानने के लिए सेटेलाइट भेजे हैं, यदि वे मानव होंगी तो संकेत मित्रता के हो सकते हैं। बिना पर्यावरण और मानव समुदाय को विकसित किए हमारे ग्रह पर विद्यमान जैव-जीवन न अस्तित्व में रह सकता है न ही विकसित या समृद्धित। अत: एक वास्तविक और प्रासंगिक एजेण्डे को इस मूलभूत सिद्धान्त को विकसित करने पर केन्द्रित और संकेन्द्रित करना चाहिए।

2. पर्यावरण और मानव समुदाय बिना किसी भेद के समान महत्व रखते हैं। इस प्रकार सभी मानव अधिकार उल्लंघनों और पर्यावरणीय नियमों के अतिक्रमणों को मानवता के विरुद्ध अपराध के तौर पर माना जाना चाहिए।

पाँच बुनियादी सिद्धान्त

1. लोगों के बीच भाईचारे की मजबूत एकता स्थापित करना।
2. कॉरपोरेट पूँजी के समर्थक राजनीतिक पार्टियों और औद्योगिक घरानों की जगह लोगों का सशक्तिकरण करना।
3. प्रत्येक वंचित एवं जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
4. अतर्कसंगत आय भिन्नता को 1:5 के तर्कसंगत अनुपात में लाना।
5. सत्ता के केन्द्र एवं संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा राष्ट्र राज्यों की गतिविधियों में कदम-ब-

कदम लोकतांत्रिक परिवर्तन लाना।

III

प्रकृति-मानव केन्द्रित तात्कालिक कार्यक्रम

प्रकृति-मानव केन्द्रित तात्कालिक कार्यक्रम की मान्यता है कि भयानक और विकराल पर्यावरणीय-मानवीय वैश्विक संकट से घिरे विश्व को ऐसे तात्कालिक कार्यक्रम की जरूरत है जो इसकी विद्यमान जमीनी वास्तविकताओं से मेल खाती हो। यहां संकट से निपटने के लिए कुछ बिन्दु तात्कालिक कार्य हेतु प्रस्तुत है–

1. रक्षा तथा विदेश मामलों की व्यवस्था एवं नीतियों को बदलना।
2. प्रत्येक देश में और विश्व पैमाने पर स्टॉक मार्केट के परिचालन को बंद करना जो बिना किसी निवेश के अरबपतियों और करोड़पतियों को पैदा करता है। विश्व के 1% लोग नीचे के 75% लोगों के बराबर धन पाते हैं और 2% कॉरपोरेट 50% विश्व की सम्पदा का नियन्त्रण करते हैं; ऊपर के 10% लोग 85% के स्वामी हैं; सबसे गरीब विश्व के आधे लोग मात्र 1% सम्पदा रखते हैं (2006 की यू एन डी पी रिपोर्ट) 50% गरीबी की रेखा से नीचे तथा 20% गरीबी की रेखा पर जीवन जीते हैं, 20% लोग अतिधनी और वंचितों के बीच मध्यम स्थिति अख्तियार करते हैं (जैसा कि कुछ गैर सरकारी अनुमानों ने उद्घाटित किया) इसने समाज को दो भागों में बांट दिया यानि 10% धनाढ्यों के विपरीत 20% बीच में तथा 70% गरीबी की रेखा पर या गरीबी की रेखा से नीचे।
3. मजदूरों और साधारण शेयर धारकों के सशक्तिकरण आधारित एक नया विकास मॉडल अपनाना।
4. सम्पूर्ण काले धन और छुपी हुई व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाना।
5. एक नई सहकारी खेती का पालन करना।
6. गांव, जिला, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व स्तर पर प्रत्येक बाजार में अनुचित व्यापार को निरस्त करना।
7. सभी असंगठित व्यवसायिक गतिविधियों का सहकारीकरण करके असंगठित काम का एक नया मॉडल बनाना।
8. सभी विश्व बचत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में लगाना।
9. इस ऊर्जा को समुद्री पानी को पीने योग्य एवं सिंचाई उपयोगी बनाने, नए ग्लेशियर बनाने, पृथ्वी के विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों को बचाने में लगाकर तथा भूकम्प नियंत्रण के विज्ञान को जानकर हमारे ग्रह का पुनर्निर्माण करना।
10. एक नई जनसंख्या नीति प्रतिपादित करना जो आधी शताब्दी के भीतर जनसंख्या में कमी करे।
11. हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार के जैव-जीवन को बचाना।
12. अन्य सौरमण्डल और उनके ग्रहों, ब्लेक हॉल घटनाक्रम, हमारी आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाएं, हमारा ब्रह्माण्ड और फिर अन्य ब्रह्माण्डों को जानने के विज्ञान का अनुसंधान करना।
13. आय अन्तर को कम करके बुनियादी सुरक्षा 1: अधिकतम आय 5 गुणा के अनुपात में लाना।

IV

लोगों के सशक्तिकरण का कार्यक्रम

मानव-मजबूती लोगों के सशक्तिकरण की बुनियाद पर ही स्थापित की जा सकती है।

1. लोगों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण

स्वच्छ हवा, शुद्ध पीने का पानी, पोष्टिक भोजन, मकान, वस्त्र तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक को मूल अधिकार प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाना चाहिए।

मुट्ठी भर अमीर श्रेणी तथा विशाल बहुमत वाली गरीब श्रेणी के बीच आये भयंकर विभाजन के बीच आर्थिक सामंजस्य लाने के लिए 1:5 आय अन्तर के आधार पर निष्पक्ष समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

राजनीतिक प्रक्रिया पर लोगों का नेतृत्व होना चाहिए तथा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं या उनके मंचों द्वारा संचालित की जानी चाहिए। चुनाव सभी प्रकार से स्वतन्त्र हो जहाँ हर एक को चुनाव प्रक्रिया में खड़े होने व वोट देने का अधिकार हो।

चुनाव में प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए राज्य की ओर से धन खर्च करने के नियम को लागू करके भ्रष्ट एवं धन व सत्ता लोभी राजनीतिक दलों के राज्य सत्ता के एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए।

विकास के लिए दिये जाने वाला सारा धन चुनी हुई जन विकास समितियों (ग्राम सभा सहित और उसके ऊपर कोई नहीं) के द्वारा खर्च किया जाना चाहिए, प्रत्येक लोकसभा सदस्य को 2 करोड़ रुपये तथा प्रत्येक विधान सभा सदस्य को लाखों रुपये अपने-अपने क्षेत्र में विकास पर खर्च करने के मौजूदा नियम को रद्द करना चाहिए।

यदि 1/5 मतदाता विधान सभा या लोकसभा सदस्य को वापिस बुलाने की लिखित माँग करते हैं तो यह अधिकार देकर लोगों को सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों को लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से अपना उम्मीदवार बनाना होगा। लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार वह माना जायेगा जो विधान सभा क्षेत्र में एक हजार मतदाताओं के हस्ताक्षरों तथा लोक सभा क्षेत्र में पाँच हजार मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

लोगों का सांस्कृतिक सशक्तिकरण : तर्कसंगत मानवतावाद और पर्यावरणीयवादी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न विश्वासों एवं आस्थाओं के बीच एकता संवर्द्धित करना।

2. महिलाओं, कामगारों, असंठित मजदूरों तथा किसानों का सशक्तिकरण

संसद, विधान सभा तथा प्रशासन, इसके साथ-साथ संगठित बड़े उद्योगों की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण किया जाए। धीरे-धीरे यह सिद्धान्त एक नियम बन जाना चाहिए जो सभी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में लागू हो।

संगठित क्षेत्र में, सभी किस्म के बड़े उद्योगों, संस्थाओं, परियोजनाओं एवं फैक्ट्रियों के प्रबंध करने वाले बोर्ड में एक तिहाई प्रतिनिधित्व मजदूरों को दिया जाए। ये एक तिहाई प्रतिनिधि मजदूरों के संगठनों के एकल मजदूर फ्रंट द्वारा चुनकर भेजे जाए। छोटे और मध्यम उद्योगों में सम्बन्धित मजदूरों से चुने गये प्रतिनिधियों का मंच प्रत्येक सम्बन्धित प्रबन्धमण्डल में सलाहकार बोर्ड की हैसियत रखेगा।

असंगठित मजदूरों का सशक्तिकरण फुटकर क्षेत्र में, लघु स्तर के निजी व्यापार में लगे सभी मजदूरों को सभी जगह (यानि, शहर, कस्बे व ग्रामीण इलाकों में) युनियनों में संगठित किया जाना चाहिए और उन्हें कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, मुक्त बाजार की सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुफ्त वाहन (ट्रालर) उपलब्ध करवाये जाएं या बड़े शहरों के बाजारों में किराया मुक्त छोटी दुकानें मुहैया करवाई जाएं।

किसानों का सशक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्र में, समस्त किसानों–चाहे वे धनी किसान हों या भूमिहीन किसान हों–को राज्य की मूल नीति के रूप में सहकारी खेती के आधार पर संगठित करके किया जाए। ऐसी प्रत्येक सहकारी समिति को

अपना बाजार तन्त्र विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी सहायता मुहैया करवाई जाए, जरूरी कृषि निवेश सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए तथा इसकी ऋण व्यवस्था सहकारी ऋण एजेंसियों से ऋण प्राप्त कर निर्मित की जाए।

जीवन के हर पहलू में न्याय, समानता और निष्पक्षता के मानवीय मूलभूत लक्ष्य को संवर्द्धित किया जाए।

3. औद्योगिक सेवाओं, वित्त प्रबंध तथा न्यायशास्त्र का लोकतांत्रिकरण

यह सभी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के जनवादीकरण की वकालत करता है जिसके अनुसार कॉरपोरेट और राजकीय मोनोपोली नियन्त्रण समाप्त करते हुए एवं उन्हें साधारण शेयरधारकों (दो तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) तथा मजदूरों (एक तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) के द्वारा प्रबंधित किया जाए।

वित्त प्रबंध : यह वित्त नियन्त्रण के लिए लोकतांत्रिक प्रबंध और नियन्त्रण को प्रस्तावित करता है। कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबंधन एवं नियन्त्रण का पक्षधर है तो राजकीय क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन एवं नियन्त्रण का समर्थक है। जबकि प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियन्त्रण का हामी है। प्रोमोटर्स शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध की मिल्कियत को समाप्त किया जाए।

न्यायशास्त्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने के मूलभूत उसूल पर आधारित किया जाए। उपर्युक्त उसूल की अवहेलना करने पर अपराधी के साथ उसे सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल मानवीय क्रूरता और मृत्यु दण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधानों को निर्धारित किया जाए।

4. कानून के शासन का परिवर्तन तीन मूलभूत प्रकार के सशक्तिकरण की बुनियाद पर हो। वे सम्बन्धित लोगों के जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदन से हो। यदि किसी वक्त विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच राय से भिन्नता हो तो मामले को सम्बन्धित लोगों में जनमत संग्रह द्वारा हल करने के लिए ले जाया जायेगा।

V

पर्यावरणीय ह्रास और सामाजिक अवमानवीयकरण का बुनियादी कारण एडम स्मिथ के स्वहित या व्यक्तिगत दिशा वाले समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा में निहित है।

समाजशास्त्रीय मूल कारण एडम स्मिथवादी तथा मार्क्सवादी विकास मॉडलों (ये दोनों ही मॉडल विश्व के विभिन्न भागों में चल रही राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, जो अब पीछे हट रही है, के दो प्रामाणिक विकास पद्धतियों के रूप में कार्यरत रही है) की एक तरफा दार्शनिक समझ में निहित है। यह एकतरफा समझ है कि अपने ग्रह पर और यहां तक कि ब्रह्माण्ड में प्रकृति की व्यवस्था में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ घटनाक्रम है। स्पष्टत: यह लोगों को मानव समाज और इसकी प्रत्येक वस्तु का एकमात्र निर्माणकर्त्ता पेश करता है। यह इस सामाजिक सच्चाई को दरकिनार करता है कि मानव समाज में परिवर्तन और विकास दो तरफा अन्तरक्रिया-एक तरफ प्रकृति और मानव समाज के बीच और दूसरी तरफ मानव समाज के अन्दर-अन्तरक्रिया से होता है।

दूसरा मूल समाजशास्त्रीय कारण मानव स्वभाव या प्रकृति के संबंध में एडम स्मिथ और मार्क्सवादी विकास मॉडल की एकतरफा समझ में निहित है। एडम स्मिथ का आर्थिक मॉडल यह मानता है कि मानव समुदाय की प्रकृति निजी स्वार्थ की है। मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्त मनुष्य की प्रकृति के प्रश्न पर दिग्भ्रमित धारणा रखती है। प्रथम, मनुष्य की प्रकृति सामाजिक है इस पर जोर देती है और अगले ही क्षण निरपेक्ष सामाजिक होने के गुण को औद्योगिक सर्वहारा (जो इस

सिद्धान्त के अनुसार मानव समाज का मुक्तिदाता है) में तब्दील कर देता है और अन्तिम तौर पर सामाजिक चरित्रता के समस्त एकाधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी में निहित कर देता है। इस दृष्टिकोण के तहत मानव समाज को सामाजिक तौर पर तब्दील करने की क्षमता अकेली कम्युनिस्ट पार्टी में ही समझता है।

यह समाजशास्त्र भ्रष्ट राजनीति, कुछ हाथों में धन का सकेन्द्रण और रूढिवादी धार्मिक संस्कृति पैदा करने का व्यवहार करता है।

वास्तव में, तथापि मानव समुदाय का दुतरफा चरित्र है, एक तरफ जैविक चरित्र और दूसरी तरफ सामाजिक चरित्र। जैविक चरित्र का पहलू मानव समुदाय के व्यक्गित अस्तितत्व को प्रतिबिम्बत करता है, जबकि सामाजिक चरित्र का पहलू उसके सामाजिक जीवन, कार्यशैली और संगठन को इंगित करता है।

VI

प्रकृति-मानव केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम

प्रकृति मानव केन्द्रित जन आंदोलन (एन एच सी पी एम) मानता है कि इस समय मानव समुदाय को एक बहुत खतरनाक पर्यावरणीय व मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि यदि इसका उत्तर वास्तविक कार्यक्रम से नहीं दिया जाता है तो इसके नतीजे में मानवीय हितों को बहुत ही खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर्वप्रथम ऐसी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि मानव जाति के विभिन्न समुदायों के बीच में पूर्ण एकता कायम हो और एकता के पहलु की यह मांग है कि मानव समुदाय के अन्दर सभी प्रकार की टकराहटों को समाप्त किया जाये। मानव समुदाय की एकता कायम करने का एकमात्र रास्ता इसमें निहित है कि दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के अन्याय को समाप्त किया जाए।

एन एच सी पी एम का यह दृष्टिकोण है कि न्यायसंगत दुनिया सभी प्रकार के सामाजिक न्याय की बुनियाद पर स्थापित करना निश्चित तौर पर संभव है। इसके लिए वर्तमान अन्यायपूर्ण कॉरपोरेट व्यवस्था को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान अन्यायपूर्ण कॉरपोरेट व्यवस्था को एक न्यायपूर्ण आधार पर पुनर्गठित करने के लिए एन एच सी पी एम 15 बिन्दु जनता को सूचित करने, संगठित होने और काम करने के लिए प्रस्तुत करता है। इन 15 बिन्दुओं को उचित समझने वाले लोगों से यह निवेदन करता है कि वे इन बिन्दुओं को मजबूती,तहेदिल और सुस्पष्टता से आम जनता के बीच प्रसारित करें।

जब कभी भी किसी इलाके अथवा देश में चुनाव हो रहे हों वहाँ एन एच सी पी एम मतदाताओं से अपील करता है कि वे इन 15 सिद्धांतों को उम्मीदवारों की सच्चाई जानने का मानदण्ड बनाए। मतदाता उम्मीदवारों से इन बिन्दुओं के समर्थन में हस्ताक्षर करने का अनुरोध करे। जो इन पर हस्ताक्षर करते हैं वे उम्मीदवार जनता के समर्थन के हकदार हैं और जो इन पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाते हैं वे न्यायिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से परे हैं।

1. मानव जाति को हर समय और हर जगह पर्यावरण (यानि हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव-विविधता इत्यादि) को टिकाऊरखने के मूलभूत कार्य को थामे रखना चाहिए।

2. जिन्दा रहने के मानवीय अधिकार को शुद्ध हवा, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक भोजन, घर, कपड़ा तथा मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा के तौर पर सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित की जाए।

3. आय में 1:5 के फर्क (यानि आय में 5 गुना से अधिक अन्तर) पर आधारित उचित समानता का मानवीय

अधिकार हो।

4. विश्व के तमाम झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर, फिलीस्तीन और श्रीलंका समस्याओं का। जम्मू-कश्मीर के न्यायपूर्वक समाधान के लिए इस राज्य के सुरक्षा और विदेश महकमों को भारत-पाक के ज्वाइंट कन्ट्रोल में दिया जाना चाहिए जबकि बाकी सभी मामलों (रक्षा और विदेश मामलों के अलावा) में जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए जबकि इसके 9 नस्ली क्षेत्रों को अधिक से अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसी प्रकार का न्यायपूर्ण समाधान इजराईल, फिलीस्तीन एवं जॉर्डन के सम्बन्ध में भी कारगर होगा।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करने के लिए सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की वीटो पॉवर समाप्त की जाए तथा किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए साधारण सभा के बहुमत के आधार पर फैसला लेने की सम्पूर्ण ताकत प्रदान की जाए।

6. विश्व-व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को उनके मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य की बजाय प्रकृति-मानव केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर तथा इनके विकास की रणनीति (जो पैसे और पैसे वालों की पक्षधर है), को प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास रणनीति जिसमें मानव और पर्यावरणीय पहलू उच्च प्राथमिकता रखते हैं तथा जिन्हें पर्यावरणीय टिकाऊपन, समता, उत्पादकता, जनता के नेतृत्व वाला जनवाद और चौतरफा पारदर्शिता के 5 उसूलों की बुनियाद पर पुनर्गठित किया जाए।

7. सभी सामाजिक संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व पक्का करके महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए।

8. खेती से सम्बन्धित सभी लोगों की जीविका की सुरक्षा सहकारी कृषि व्यवस्था से सुनिश्चित की जाए।

9. शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के श्रमिकों का सशक्तिकरण हो, जिसके अन्तर्गत संस्थानों, परियोजनाओं और कारखानों के प्रबन्ध में उनका एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

10. उद्योग और सेवा के सभी क्षेत्रों पर से उद्योगपतियों और सरकार का एकाधिकार नियंत्रण खत्म करके तथा आम शेयरधारकों को दो तिहाई और मजदूरों को प्रबंधन में एक तिहाई हिस्सा देकर उनका लोकतांत्रीकरण किया जाए।

11. वित्तीय प्रबन्ध : कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबन्धन एवं नियंत्रण का पक्षधर है तो सरकारी क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन एवं नियंत्रण का सर्मथक है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर इन स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई सदस्य आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण स्थापित हो। प्रोमोटर्स (प्रोत्साहक) शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध को समाप्त किया जाए।

12. प्रकृति–मानव केन्द्रित राजनीतिक प्रकिया लोगों द्वारा निर्देशित होनी चाहिये तथा उसका संचालन समर्पित प्रकृति-मानव केन्द्रित सामाजिक कार्यकर्ताओं (या उनके मोर्चे) द्वारा किया जाना चाहिए। चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र हो जिसमें प्रत्येक को उम्मीदवार और मतदाता दोनों रूपों में भाग लेने का समान अधिकार है।

13. दलगत ढांचे को महत्व दिए बिना व्यक्ति के रूप में उम्मीदवार को (जो विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 1000 और लोकसभा के सिलसिले में 5000 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तुत करे) चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों को लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से उम्मीदवार बनाना होगा। चुनाव में सरकारी खर्च का नियम लाकर राज्यसत्ता पर भ्रष्ट और सत्ता-धन के लोभी राजनीतिक दलों के एकाधिकार का खात्मा किया जाए। यदि मतदाता किसी भी विधानसभा या लोकसभा सदस्य को वापिस बुलाना चाहे तो 1/5 मतदाताओं द्वारा लिखित में मांग करने पर पुन:

चुनाव करवाया जाय।

14. प्रत्येक सांसद को दो करोड़ और प्रत्येक विधायक को लाखों रुपये आवंटित करने का मौजूदा नियम हटाकर विकास से सम्बन्धित सारा धन निर्वाचित जन विकास समितियों (ग्राम सभा सहित और इसके ऊपर कोई नहीं हो) के जरिए खर्च हों।

15. न्यायशास्त्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने के मूलभूत उसूल पर आधारित किया जाए। उपर्युक्त उसूल की अवहेलना करने पर अपराधी के साथ उसे सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल मानवीय क्रूरता और मृत्यु दण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधानों को निर्धारित किया जाए।

VII

प्रकृति-मानव केन्द्रित दीर्घकालीन कार्यक्रम

प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का दृष्टिकोण है कि चल रहे घातक संकट का बुनियादी हल मौजूदा कारपोरेट पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था लाने में निहित है, जिसका उद्देश्य, सिद्धान्त, तरीकाकार और संगठन दो उच्च प्राथमिकताएँ–यानि, पर्यावरण और मनुष्य–लिए हुए हैं और जो पाँच बुनियादी उसूलों–यानि, पर्यावरणीय संवर्द्धन, उचित समानता (यानि, प्रत्येक वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा तथा अतर्कसंगत आय के अन्तर को 1:5 के आय का अन्तर स्थापित कर इसे तर्कसंगत बनाना), उत्पादकता (या वृद्धि दर), लोक नेतृत्व जनवाद (यानि, कारपोरेट पूँजीवादी समर्थित राजनीतिक पार्टियों एवं व्यापारिक घरानों की बनिस्पत लोगों का सशक्तिकरण करना) तथा चहुँमुखी पारदर्शिता–का पालन करता है। प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. मानव समाज के प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल का मानना है कि मानव समाज में पर्यावरण और मानव जाति दोनों बहुत ही मूल्यवान घटनाक्रम हैं। यह दोनों इसकी सामाजिक पूँजी (सर्वोच्च वस्तु) है, इन दोनों (यानि, पर्यावरणीय-मानवीय संसाधन) में वृद्धि से विकास, सम्पन्नता एवं प्रगति होती है तथा सोचने, कहने, करने और संगठित होने के लिए यह निर्देशक सिद्धान्त का कार्य करता है।

2. यह हर समय और सब जगह पर्यावरण (यानि, हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव-विविधता इत्यादि) संवर्धन के मूलभूत कार्य का मजबूती से समर्थन करता है।

3. यह प्रत्येक व्यक्ति के जैव-सामाजिक अस्तित्व के अधिकार को शुद्ध हवा, साफ पीने के पानी, पौष्टिक भोजन, घर, कपड़ा तथा मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा के तौर पर सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने का समर्थक है।

4. यह आय में 1:5 के फर्क (यानि आय में अधिकतम 5 गुणा अन्तर) पर आधारित उचित समानता के मूलभूत मानवीय अधिकार का समर्थक है।

5. यह विश्व शान्ति का मजबूती से पक्षपोषण करता है और विश्व के सभी विवादों खासकरके जम्मू-कश्मीर, फिलीस्तीन और श्रीलंका इत्यादि के सीधे शांतिपूर्ण हल के मार्ग का समर्थक है। जम्मू-कश्मीर के न्यायपूर्ण समाधान के लिए इस राज्य के सुरक्षा, विदेश महकमों एवं मुद्रा को भारत-पाक सहराज्य के संयुक्त नियन्त्रण में सौंपा जाना चाहिए जबकि बाकी सभी मामलों (रक्षा और विदेश मामलों के अलावा) में जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिये जबकि इसके नौ नश्ली क्षेत्रों में से प्रत्येक को अधिकतम संभव स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसी प्रकार का न्यायपूर्ण समाधान इजराईल, फिलीस्तीन और डॉयफोर के संबंध में भी कारगर होगा।

6. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के वीटों पावर को समाप्त करते हुए विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन करने एवं किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय सभा में साधारण बहुमत के आधार पर फैसला लेने की सम्पूर्ण ताकत प्रदान करने की मांग करता है। कुछ समय दौरान, विश्व के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के मतदान से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा रचित संविधान के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाए।

7. यह विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उनके मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य की बजाए प्रकृति-मानव केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर पुनर्गठित करने तथा इनके विकास की रणनीति (जो पैसे और पैसे वालों की पक्षधर है) को प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास रणनीति बनाने की हिमायत करता है जिसमें मानवीय और पर्यावरणीय पहलु उच्च प्राथमिकता रखते हैं तथा जिन्हें पर्यावरणीय संवर्धन, उचित समानता, उत्पादकता, जनता के नेतृत्ववाला जनवाद और चौतरफा पारदर्शिता के पांच उसूलों की बुनियाद पर पुनर्गठित किया जाता है।

8. यह हर स्तर पर सभी सामाजिक संस्थानों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व पक्का करके महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है तथा महिलाओं के उद्देश्य एवं मांगों का समर्थक है।

9. यह खेती को सहकारिता के आधार पर सुसंगठित करने को प्रोत्साहित करता है तथा खेती से संबंधित सभी लोगों की जीविका को सुनिश्चित करने का समर्थक है।

10. यह श्रमिकों (शारीरिक और मानसिक दोनों) के सशक्तिकरण के लिए जोरदार आवाज उठाता है, जिसके अनुसार सभी संस्थानों, परियोजनाओं एवं कारखानों के प्रबंध में उनके (श्रमिकों के) एक तिहाई चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

11. यह सभी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण की वकालत करता है जिसके अनुसार कॉरपोरेट और राजकीय मोनोपोली नियन्त्रण समाप्त करते हुए एवं उन्हें साधारण शेयरधारकों (दो तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) तथा मजदूरों (एक तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) के द्वारा प्रबंधित करता है।

12. यह वित्त नियन्त्रण के लिए लोकतांत्रिक प्रबंध और नियन्त्रण को प्रस्तावित करता है। कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबंधन एवं नियन्त्रण का पक्षधर है तो राजकीय क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन एवं नियन्त्रण का समर्थक है। जबकि प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियन्त्रण का हामी है। प्रोमोटर्स शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध की मिल्कियत को समाप्त करता है।

13. यह प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ और प्रत्येक विधायक को लाखों रुपये अपने चुनावी क्षेत्र के विकास खर्च के लिए आवंटित करने के मौजूदा नियम को हटाकर विकास से संबंधित सारा धन निर्वाचित जन विकास समितियों (ग्रामसभा सहित और इसके ऊपर कोई नहीं) के जरिए खर्च करने को प्रोत्साहित करता है।

14. यह प्रत्येक देश में प्रकृति-मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के आधार पर कॉरपोरेट पूँजीवादी निर्देशित संविधान तथा न्यायशास्त्र को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखता है।

15. यह मानवीय एवं पर्यावरणीय संसाधनों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन के मूलभूत सिद्धान्त का मजबूती से पक्षधर है। उपर्युक्त उसूल की किसी तरह से अवहेलना करने पर अपराधी को सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल दण्ड दिया जाए। दण्ड में मानवीय क्रूरता और मृत्युदण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

16. इसका पक्का विश्वास है कि मानव समाज की सभी संघटक प्रक्रियाओं–यानि, पर्यावरणीय, मानवीय और वैज्ञानिक तकनीकी–पर लोगों का नियंत्रण होना चाहिए और उन्हीं द्वारा संचालित होनी चाहिए।

17. यह गांव/वार्ड से राष्ट्रीय स्तर तक पाँच स्तरों पर सामाजिक जीवन के तीन पहलुओं–राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक–के प्रबन्ध की शक्ति लोगों को देकर उनके सशक्तिकरण (या जनता के नेतृत्व वाला शासन) को प्रस्तावित करता है।

18. लोगों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया चुनाव के तरीके से तय की जाए जो पूर्णतया स्वतंत्र हो और जहाँ प्रत्येक को उम्मीदवार के तौर पर भागीदारी करने का अधिकार है तथा मतदाता के रूप में अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। यह दलगत ढांचे को महत्व दिये बिना व्यक्ति के रूप में उम्मीदवार को (जो विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 1000 और लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 5000 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तुत करें) चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों को लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से उम्मीदवार बनाना होगा। चुनाव में सरकारी खर्च का नियम लाकर राज्य सत्ता पर भ्रष्ट और सत्ता-धन के लोभी राजनीतिक दलों के राजकीय एकाधिकार का खात्मा करने का पक्षधर है। सम्बन्धित मतदाताओं को वापिस बुलाने का अधिकार हो जिसके तहत किसी सभा सदस्य के मतदाताओं का 1/5 भाग अगर लिखित में पुन: चुनाव की मांग इस आधार पर करें कि उपर्युक्त सदस्य अपने मतदाताओं का विश्वास खो चुका है।

19. राजनीतिक पहलू माँग करता है कि पाँचों स्तर (यानि, राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय, जिला, ब्लॉक और गाँव) पर राजनीतिक सभा का गठन किया जाए जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर कायम रहे तथा पूर्णतया लोकतान्त्रिक उसूलों, गतिविधियों और ढाँचे पर आधारित हो। ऐसा मॉडल निर्णय लेने में भी अधिकतम सम्भव लोक सशक्तिकरण के सिद्धान्त को लागू करना आवश्यक बना देता है।

20. आर्थिक पहलू की आवश्यकता है कि एक तर्कसंगत और वास्तविक आर्थिकता के लिए पाँचों स्तर पर विकास सभाएँ स्थापित की जाएं जिसकी धारणाएँ, कानून एवं नियम पुर्वोक्त दो उच्च प्राथमिकताओं (यानि, मानवजाति और पर्यावरण) तथा पाँच सिद्धान्तों (यानि, पर्यावरणीय संवर्धन, उचित समानता, उत्पादकता, जन-नेतृत्वकारी लोकतन्त्र तथा चहुंमुखी पारदर्शिता) की रोशनी में बनाए जाएं। मनुष्य की जैव-सामाजिक प्रकृति के मद्देनजर एडम स्मिथ का 'निजी हित' आधारित बुनियादी आर्थिक सिद्धान्त तथा हर चीज का राज्य द्वारा राष्ट्रीयकरण करने के मार्क्सवादी बुनियादी आर्थिक सिद्धान्त, ये दोनों एक तरफा है। परन्तु, विडम्बना यह है कि दोनों मनुष्य और पर्यावरण विकास के सन्दर्भ की बजाए विकास, सम्पन्नता तथा प्रगति को धन वृद्धि के रूप में नापते हैं।

21. सांस्कृतिक पहलू की आवश्यकता है कि पाँचों स्तर पर सांस्कृतिक सभाएं स्थापित की जाएं।यह ऐसे जीने के तरीके (या जीवन शैली) की माँग करता है जो बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्यों से भरपूर हों तथा लोगों के बीच में तर्कसंगत मानवतावाद एवं पर्यावरणवादी चिन्तन, व्यवहार एवं संगठन को विकसित करता हो।

22. पाँचों स्तरों पर राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक सभाओं द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए अपने-अपने राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के आयोगों का चुनाव करना। राजनीतिक विशेषज्ञों का आयोग राजनीतिक मुद्दों, जैसे–कानून और व्यवस्था, अपराध रोकथाम, न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्ध रखे; विकास विशेषज्ञों का आयोग आर्थिक, वित्तीय मसलों, जैसे–विकास योजना, कृषि उद्योग, सेवाएं, वित्त और बजट को देखे और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों एवं अन्य सांस्कृतिक विषय, जैसे–भाषा, संगीत, नृत्य, सिनेमा उद्योग आदि पर ध्यान दें।

23. प्रत्येक चुनी हुई संस्था अपने प्रभाव क्षेत्र में चाहे वह निचले स्तर की हो या ऊपर के स्तर की हो सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न होगी। किसी भी समय दो चुनी हुई संस्थाओं या सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हो तो सम्बन्धित

इकाइयाँ अपने-अपने प्रतिनिधि समूहों को नियुक्त करेंगी जो बातचीत के जरिए सम्बन्धित प्रश्न का हल निकालेंगी। यदि मामला आपस में तय हो जाता है तो वह फैसला मान्य होगा। यदि दोनों पक्ष साझे निर्णय पर सहमत नहीं होते तो मसला सम्बन्धित लोगों द्वारा जनमतसंग्रह से हल किया जाएगा।

24. इसका मानना है कि किसी भौगोलिक इकाई की आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न सम्बन्धित लोगों द्वारा ही देखा जाए। विभिन्न भौगोलिक इकाइयों की सीमा-सुरक्षा का मुद्दा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा देखा जाए तथा यह सुरक्षा एजेन्सी सम्बन्धित लोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार बनाई जाए।

25. समाज में प्रत्येक प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक का संचालन यह नहीं होने देगी चाहे उस तकनीक में कितनी भी ज्यादा उत्पादक क्षमता हो।

VIII

तात्कालिक कार्य

मौसम परिवर्तन के घातक संकट की मूलभूत वास्तविकता, जिसने अब हमारी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया है, यह लोगों में इस तथ्य की तुरन्त जागृति की माँग करता है कि मनुष्य जाति और अन्य जैव-घटनाक्रमों के सामने अब–जीवन या मृत्यु–की घातक चुनौती मुँह बाए खड़ी है।

आगे, इसकी जरूरत यह है कि लोगों को इस तथ्य के बारे में सचेत किया जाए कि 'जीवन और मृत्यु' की उक्त चुनौती का कारण मौजूदा अमानवीय कॉरपोरेट पूँजीवादी व्यवस्था तथा इसके अमानवीय संचालकों, जो केवल मात्र अपने स्वार्थी निजी हितों के अलावा और किसी हित से प्रेरित नहीं हैं–में निहित है।

तृतीयत:, यह लोगों को इस तथ्य के बारे में जागृत करना आवश्यक बनाता है कि इस खतरनाक चुनौती का वास्तविक हल अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक प्रकृति-मानव निर्देशित कार्यक्रम में मौजूद है।

चतुर्थ, यह प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन के हिस्सेदार के तौर पर उन सभी को संगठित होने का आह्वान करता है जो उक्त वर्णित तीन बिन्दुओं से सहमत हैं।

पंचम, यह पर्यावरणवादी एवं मानवतावादी आन्दोलनों तथा भारत व दुनिया के अन्य देशों की जनता से जुड़े हुए सभी लोगों से भाईचारे के सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक समझता है।

IX

मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अन्तरसरकारी पेनल (यू एन आई पी सी सी) ने उल्लेख किया

मौसम परिवर्तन ने 21वीं सदी के मानव विकास चुनौती को निश्चित कर दिया है। इस चुनौती के जवाब में असफलता का अर्थ मानव समुदाय और हमारे ग्रह पृथ्वी के सम्पूर्ण जैव-जीवन को खतरे में डालना होगा। सबसे गरीब देश और सर्वोच्च असुरक्षित नागरिक सर्वप्रथम कष्ट से पीड़ित होंगे और अत्यन्त विध्वंसकारी हादसों के शिकार बनेंगे। हालांकि उन्होंने समस्या में बहुत ही कम योगदान किया है। भविष्य को देखते हुए, कोई भी देश–सम्पन्न या शक्तिशाली–वैश्विक उष्माकरण के प्रभाव से बच नहीं सकेगा।

आई पी सी सी की सारांश रपट दर्शाती है कि मौसम परिवर्तन भविष्य का एकमात्र दृश्य नहीं है। सूखा, बाढ़ और तूफानों में बढ़ोतरी पहले से ही अवसर को खतम कर रही है तथा खतरे को मजबूती दे रही है। इस बीच अब बहुत सारे वैज्ञानिक सबूत है कि विश्व ऐसे बिन्दु की ओर बढ़ रहा है जहां से पारिस्थिकी विध्वंस से पीछे हटना असंभव बन जायेगा। जैसाकि सामान्यतया मौसम परिवर्तन के बिन्दु स्पष्ट दिशा में है, हमारे जीवन में मानव विकास अभूतपूर्व उलटाव में है, हमारे बच्चे और उनके बच्चे गम्भीर खतरे में है।

अभी भी मौसम परिवर्तन के प्रभाव को टालने का अवसर है, लेकिन यह अवसर समाप्त होने जा रहा है, दुनिया के पास मामले को बदलने के लिए एक दशक से कम समय है। आने वाले समय में कार्यवाही की जाती है–या नहीं, मानव विकास का भविष्य इस पर भारी निर्भर करेगा। इस पर काम करने के लिए विश्व के पास न तो वित्तीय कमी है न ही तकनीकी क्षमता की कमी। कमी है तो मानव मजबूती की और सामूहिक हित की संवेदना की।

जैसा कि आई पी सी सी की सारांश रिपोर्ट तर्क करती है मौसम परिवर्तन कई स्तर पर चुनौतियां प्रस्तुत करता है। बंटा हुआ लेकिन पारिस्थिकी रूप से अन्तरनिर्भर विश्व यह सभी लोगों को चुनौती देता है कि हम कैसे एक ऐसा वातावरण बनाए कि हम साझे रूप से पृथ्वी ग्रह को काम में ले सकते हैं। यह राजनीतिक नेताओं और अमीर देशों में लोगों को चुनौती देता है कि समस्या के प्रति अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी समझे और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में शीघ्र कटौती तथा प्रभावी पहल करे। इन सबसे ऊर यह सम्पूर्ण मानव समुदाय को साझी मान्यताओं और साझे दृष्टिकोण पर आधारित पक्का और मजबूत सामूहिक कार्य के उत्तरदायित्व लेने की चुनौती देता है।

घातक चुनौती मात्र 250 वर्षों पहले से ही पैदा होनी शुरू हुई

मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर सरकारी पेनल ने साफ बताया है कि 300 साल पहले ग्रह पृथ्वी प्रदूषण मुक्त था। सन् 1750 में प्रदूषण प्रकट होना शुरू हुआ। विशेषज्ञों की रिपोर्टें इंगित करती है कि ग्रीन हाउस गैसों (कार्बनडाई आक्साईड, मिथेन और नाइट्रो-ऑक्साईड) का संकेन्द्रण मुख्यत: जैवाष्म ईंधन के उपयोग से कार्बन डाई ऑक्साइड बढ़ी, मिथेन और नाइट्रो-आक्साइड कृषि के कारण बढ़ी थी। खास तौर पर कार्बन डाई आक्साईड का सकेन्द्रण 1750 में 280 पी पी एम (प्रति दस लाख) से 2005 में 379 पी पी एम की बढोतरी साढे छ: लाख वर्षों में (180 पी पी एम से 300 पी पी एम) की बढोतरी से बहुत ही ज्यादा है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार आई पी सी सी द्वारा अनुमानित गैसों का सबसे कम स्तर पर स्थिर होने का दृश्य एक दीर्घकालीन नीति के तहत यह है कि अगले 10-15 वर्षों में उत्सर्जन अपने शिखर पर होगा जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 50% की कटौती जो 2050 तक सन् 2000 के स्तर पर स्थिर कर देगी जो वातावरण में लगभग 450 पी पी एम कार्बनडाईआक्साईड के बराबर होगी तथा इससे सम्बन्धित तापक्रम में वृद्धि 2-2.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। (16 फरवरी, 2008)